लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश,

क्र,विद्या / ई / 2007 / 2526 — भोपाल, दिनांक 30–11–2007

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण संभाग,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषय :– अतिथि शिक्षक अध्यापन व्यवस्था।
संदर्भ :– म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 27–77 / 20–2 / 07 भोपाल दिनांक 29.11.07।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए अतिथि शिक्षक व्यवस्था निम्नानुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था का नाम **अतिथि शिक्षक अध्यापन व्यवस्था** होगा जिसका कियान्वयन निम्नानुसार किया जाएगाः–

2. **अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन** :–अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगाः–

1. प्रत्येक जिले में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के हाईस्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकीय संवर्गों तथा शिक्षाकर्मी / संविदा शाला शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की जानकारी संस्थावार तैयार की जाएगी। इस हेतु व्याख्याताओं व शिक्षकों के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों तथा संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती उपरांत रिक्त रह गए पदों को गणना में लिया जाएगा।

(क) व्याख्याताओं तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के रिक्त पदों की शालावार एवं विषयवार गणना की जाएगी।

(ख) शिक्षकों एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के रिक्त पदों की शालावार एवं विषय समूहवार गणना की जाएगी।

अतिथि शिक्षक व्यवस्था उपरोक्त दो श्रेणियों के लिये ही लागू होगी। उपरोक्त उपकंडिका (क) एवं (ख) के अनुसार परिगणित की गई रिक्तियां क्रमशः अतिथि शिक्षक श्रेणी–1 एवं अतिथि शिक्षक श्रेणी–2 की आवश्यकता के आंकलन का सामान्य आधार यह रहेगा कि शाला में कार्यरत स्टाफ के कार्यभार तथा छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकीय पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक रखना वास्तव में आवश्यक है अथवा नहीं। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों की संख्या **स्कूल के लिए स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।**

3 **अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए विज्ञापन जारी करनाः–**

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदों की गणना तथा विषयवार रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात विकासखंडवार विकासखंड के अंतर्गत संचालित उ.मा.वि. एवं हाईस्कूलों की रिक्तियों एवं विषयों का

e

उल्लेख करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन ऐसे दो समाचार पत्रों में कराया जायेगा जो उस जिले में व्यापक रूप से प्रचलन में है। विज्ञापन में उल्लेखित होगा कि आवेदक द्वारा 07 दिवस के अंदर संबंधित संस्था प्रमुख/प्राचार्य को अपना आवेदन प्रस्तुत किया जावे। आवेदन पत्र सादे कागज में संस्था प्रमुख को संबोधित होगा जिसमें शैक्षणिक योग्यता ,अनुभव, आयु एवं पत्राचार का पूर्ण पता, टेलीफोन नम्बर आदि का उल्लेख होना आवश्यक होगा। संस्था स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन कर, व्यक्तिगत रूप से जमा करने वाले आवेदकों को पावती देने की व्यवस्था संस्था स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है। यह विज्ञापन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से दिया जायेगा अर्थात् किसी समाचार पत्र को विज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सीधे जारी नहीं किया जायेगा।

4. अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हताः–

अतिथि शिक्षक श्रेणी–1 एवं अतिथि शिक्षक श्रेणी –2 के लिए उन्हीं व्यक्तियों को विचार में लिया जाएगा जिनके पास मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 की अनुसूची दो के कालम नम्बर 05 एवं 07 में सुसंगत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी के लिये विहित की गई शैक्षणिक अर्हताएं होंगी। अर्थात् अतिथि शिक्षक वर्ग–1 के लिए आवेदक के पास संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि होना चाहिए। अतिथि शिक्षक वर्ग–2 के लिए आवेदक के पास संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि होना चाहिए। **परंतु आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।**

5. अतिथि शिक्षकों की चयन सूची तैयार करना :–

संस्था स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन संस्था प्रमुख तथा पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दोंनों की सहमति से तैयार किया जायेगा। एक विषय के लिये अधिकतम 05 अतिथि शिक्षकों का चयन (प्रतीक्षा सूची सहित) किया जायेगा। विषयवार पैनल में चयनित अतिथि शिक्षकों के चयनित होने की सूचना संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी तथा सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

अतिथि शिक्षकों का चयन गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार तैयार किए जाएंगेः–

(अ) प्रथम वरीयता शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त व्याख्याताओं, शिक्षकों को दी जाएगी। व्याख्याताओं तथा शिक्षकों के मामले में वरीयता उसी विषय/विषयसमूह के लिये दी जाएगी जिसमें उनके द्वारा अध्यापन किया गया हो। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में संस्था प्रमुख एवं पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।

(ब) द्वितीय वरीयता अतिथि शिक्षक श्रेणी–1 के मामले में बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण आवेदकों को अतिथि शिक्षक श्रेणी–2 के मामले में बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) बी.टी.सी/डी.एड./डी.एस.ई उत्तीर्ण आवेदको को दी जाएगी। किंतु अंतिम निर्णय संस्था प्रमुख एवं पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का होगा।

(स) परंतु एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में अतिथि शिक्षक वर्ग–1 के मामले में स्नातकोत्तर उपाधि में प्राप्त अंको का प्रतिशत, अतिथि शिक्षक वर्ग–2 के मामले में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। आवेदकों के अंकों का प्रतिशत एक समान होने पर चयन का विकल्प संस्था प्रमुख एवं पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष को होगा।

उपरोक्तानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के लिये अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी–1 का चयन विषयवार तथा अतिथि शिक्षक श्रेणी–2 का चयन विषय समूहवार किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त चयन की सूचना संस्था प्रमुख द्वारा दी जावेगी।

6. अतिथि शिक्षकों को आमंत्रणः–

शाला के प्राचार्य द्वारा पालक शिक्षक संघ के सचिव की हैसियत से चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को गुणानुक्रम के अनुसार अतिथि शिक्षक कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

7. मानदेय की व्यवस्थाः–

7.1 अतिथि शिक्षक श्रेणी–1 के लिये प्रति कालखंड के मान से रुपये 50/– एक दिवस में अधिकतम 04 कालखंड के लिये भुगतान किया जा सकेगा। माह में भुगतान की अधिकतम सीमा रूपये 4000/– की होगी।

7..2 अतिथि शिक्षक श्रेणी–2 के लिये प्रति कालखंड के मान से रुपये 40/– एक दिवस में अधिकतम 04 कालखंड के लिये भुगतान किया जा सकेगा। माह में भुगतान की अधिकतम सीमा रूपये 3200/– की होगी। अर्थात माह में 20 दिवस शैक्षणिक कार्य कराया जा सकेगा।

7.3 अतिथि शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था संविदा शिक्षकों के मानदेय मद से की जायेगी तथा मानदेय का भुगतान पालक शिक्षक संघ के माध्यम से किया जायेगा। संविदा शिक्षकों के मानदेय हेतु प्राप्त राशि कोषालय से आहरण कर राशि पालक शिक्षक संघ के खाते में जमा कराई जायेगी तथा पालक शिक्षक संघ के खाते से अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जाये।

8. विविधः–

8.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन की व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थाई स्वरूप की है। यह किसी पद के विरूद्ध कोई नियुक्ति नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिये केवल मानदेय की पात्रता होगी। उन्हें इस कार्य के लिये कोई अनुभव प्रमाण जारी नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य में किसी पद की भर्ती के समय इसे कार्यानुभव के रूप में मान्यता दी जाएगी।

8.2 संस्था प्रमुख द्वारा समय–समय पर अतिथि अध्यापकों द्वारा किए गए कार्यो का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्यापन कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संबंधित अतिथि शिक्षक को आगे कार्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक शिक्षक संघ के अनुमोदन से प्राचार्य द्वारा चयन सूची में सम्मिलित अगले व्यक्ति को अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

8.3 इस व्यवस्था के अंतर्गत चयन किए गए अतिथि शिक्षकों का चयन केवल उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगें।

विज्ञापन में किये गये उल्लेखानुसार अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु अभ्यर्थियों की अर्हताएँ व शर्तें एवं प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट **http://www.sednmp.nic.in** पर भी उपलब्ध हैं।

हस्ता/–
(एस. एन. मिश्रा)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

e

पृष्ठांकन

प्रतिलिपि क्र,विद्या/ई/2007/2527 भोपाल, दिनांक 30–11–2007

1. निज सहायक मान. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर
3. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग
4. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन वित्त विभाग
5. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन नगरीय प्रशासन विभाग
7. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म. प्र.
8. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग
9. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश
10. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश
11. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश
12. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश
14. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत मध्यप्रदेश
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश

हस्ता/–
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

e

विज्ञापन का प्रारूप
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता

जिला .... में हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षण सत्र 2007–2008 के लिए शिक्षक वर्ग एक एवं शिक्षक वर्ग दो हेतु अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार आवश्यकता है:–

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम जिसमें अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है।	अतिथि शिक्षक वर्ग 1		अतिथि शिक्षक वर्ग 2	
			विषय	आवश्यकता	विषय समूह	आवश्यकता

अर्हताएँ एवं सेवा शर्तें संबंधित विद्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में या विभाग की वेबसाइट **http://www.sednmp.nic.in**पर देखी जा सकती है। इच्छुक आवेदक 07 दिवस के भीतर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सादे कागज पर अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं पता व टेलीफोन नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला...........................